



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2603]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938

No. 2603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2016

का.आ. 3355(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 नवम्बर, 2016 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:

(1) धारा 3-

- (i) खंड (2) से खंड (4);
- (ii) खंड (6) से खंड (21);
- (iii) खंड (23) से खंड (25);
- (iv) खंड (27);
- (v) खंड (29) से खंड (36);

(2) धारा 196;

(3) धारा 197;

(4) धारा 223;

- (5) धारा 239 की उपधारा (2)–
 (i) खंड (यड.) से खंड (यज);
 (ii) खंड (यठ) से खंड (यड);
- (6) धारा 240 की उपधारा (2)–
 (i) खंड (क) से धारा (यड);
 (ii) खंड (यप) से खंड (यययग);
- (7) धारा 244;
 (8) धारा 246 से धारा 248 (दोनों सहित)
 (9) धारा 250; और
 (10) धारा 252।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2016

S.O. 3355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st November, 2016 as the date on which the provisions of the following sections of the said Code shall come into force:--

- (1) section 3 –
 (i) clause (2) to clause (4);
 (ii) clause (6) to clause (21);
 (iii) clause (23) to clause (25);
 (iv) clause (27);
 (v) clause (29) to clause (36);
- (2) section 196;
 (3) section 197;
 (4) section 223;
 (5) sub-section (2) of section 239-
 (i) clause (ze) to (zh);
 (ii) clause (zl) to (zm);
- (6) sub-section (2) of section 240-
 (i) clause (a) to (zm);
 (ii) clause (zu) to (zzzc);
- (7) section 244;
 (8) section 246 to section 248 [both inclusive];
 (9) section 250; and
 (10) section 252.

[F. No. 30/7/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.